न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 32/2024/अपील

1. सुशील पोद्दार पुत्र नरेश पोद्दार जाति महाजन निवासी मैसर्स प्रभूदयाल पोद्दार पेट्रोल पम्प, चान्दपोल सीकर हाल आनन्द नगर, बालाजी मंदिर के पास, सीकर राजस्थान।
2. सम्पति पोद्दार पत्नी नरेश पोद्दार जाति महाजन निवासी मैसर्स प्रभूदयाल पोद्दार पेट्रोल पम्प, चान्दपोल सीकर हाल आनन्द नगर, बालाजी मंदिर के पास, सीकर राजस्थान।
3. गरिमा पोद्दार पुत्री नरेश पोद्दार जाति महाजन निवासी मैसर्स प्रभूदयाल पोद्दार पेट्रोल पम्प, चान्दपोल सीकर हाल आनन्द नगर, बालाजी मंदिर के पास, सीकर राजस्थान।
4. ईशु पोद्दार पुत्र नरेश पोद्दार जाति महाजन निवासी मैसर्स प्रभूदयाल पोद्दार पेट्रोल पम्प, चान्दपोल सीकर हाल आनन्द नगर, बालाजी मंदिर के पास, सीकर राजस्थान।

—अपीलांट्स

बनाम

1. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर डाक बंगला सीकर
2. तहसीलदार तहसील व जिला सीकर

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः—

1. श्री नानूराम बुडानिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.09.2024 प्रकरण संख्या 39/2024 बाबत भूमि ख.न. 819 रकबा 0.704 मीटर पर अतिक्रमण के संबध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सपठित धारा 95(7) के अधीन बेदखल करने एवं तावान वसूली आदेश

निर्णय

दिनांकः 15.07.2025

1. अपीलांट **सुशील पोद्दार** की ओर से यह अपील वकील **श्री नानूराम बुडानिया** द्वारा **तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 02.09.2024 प्रकरण संख्या 39/2024 अन्तर्गत धारा 91 सपठित धारा 91(7) राजस्थान भू—राजस्व अधि**

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

1956 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सपठित धारा 95(7) का एक नोटिस इस आशय का दिया कि भूमि ख.न. 819 में कुल 704 वर्गमीटर में permanent structure 110.45 mtr tin sade 370 mtr मौजूदा पुलिया से दूरी 5.20 front mtr मे विवरण tin sade, open land, structure कर खसरा नम्बर 819 की सीमा में 704 वर्गमीटर भूमि पर कच्चा व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिससे आमजन को परेशानी हो रही है, इसलिए दिनांक 01.08.2024 से उक्त भूमि को खाली कर दें अन्यथा स्वयं अथवा प्लीडर द्वारा दिनांक 12. 08.2024 को 11 बजे पूर्वान्ह हाजिर होवें तथा यह हैतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि, अपीलांट के पड़दादा नारायण पुत्र चुन्नीलाल पोद्दार ने सन 1965 मे यह आराजी खरीदी थी, उसके बाद अपीलांट के दादा प्रभूदयाल पोद्दार के नाम न्यायगत हुई, उसके बाद अपीलांट के पिता नरेश पोद्दार के नाम अंकित है। वर्तमान में यह भूखण्ड करीब 900 वर्गगज का है, जो कि सम्पति देवी पोद्दार, सुशील पोद्दार व गरीमा पोद्दार के कब्जे एवं स्वामित्व में है एवं सन् 1965 से ही उक्त भूखण्ड पर पानी एवं विद्युत संबंध स्थापित है, तथा उक्त भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प भी स्थापित किया था। इस भूखण्ड के सम्बन्ध मे सिविल न्यायालय सीकर के प्रकरण संख्या 54/80 दिनांक 15.03.1985 द्वारा अपीलांट के पेट्रोल पम्प को तोड़–फोड़ नहीं करने एवं कोई तवान या पेनल्टी वसूल नहीं करने के आशय की डिक्री पारित की थी। अपीलांट ने नोटिस के जवाब के साथ उक्त निर्णय व डिक्री की प्रति प्रस्तुत की थी जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवलोकन नहीं कर दिनांक 02.09.2024 को अपीलांट को अतिक्रमी मान कर 704 मीटर पर अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखली एवं जुर्माना वसूली का आदेश पारित कर दिया, एवं उक्त भू खण्ड में निर्मित समस्त निर्माण हटा दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय में SB Civil Writ Petition No. 17654/2024 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू प्रबंध अधिनियम की धारा 75 के तहत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें जिसका निर्णय 3 माह में किया जावें एवं तब तक यथास्थिति बनाये रखें।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर,सीकर

(3) अपीलांट के स्वामित्व की पुस्तैनी आराजी जिसका पुराना खसरा नम्बर 491/1/1 जो नवलगढ़ रोड़ पर स्थित है, जिस पर मन्मथ कुमार ने पेट्रोल पम्प लगाने के लिए अलोट हुई थी जिसके निर्माण हेतु जिलाधीश सीकर ने दिनांक 13/14.09.1965 को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 4स58/टीए/65 जारी किया गया। उक्त भूमि बाबत तहसीलदार सीकर ने दिनांक 06.09.1966 को पश्चिमी रेल्वे के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जिस पर जिलाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.1968 द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 06.09.1966 निरस्त कर दिया, अर्थात पेट्रोल पम्प की भूमि मान ली गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गई। मन्मथ कुमार ने उक्त पेट्रोल पम्प को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 18.05.1968 को नारायण बक्स पुत्र चुन्नीलाल पोद्दार को विक्रय कर दिया, जिन्होंने भी दिनांक 20.12.1969 को फर्म कैलाश सर्विस स्टेशन पेट्रोल पम्प को विक्रय कर दिया, उस समय पुनः तहसीलदार सीकर ने दिनांक 02.06.1977 को उक्त पेट्रेल पम्प की भूमि को कृषि भूमि खसरा नम्बर 255/3 में निर्मित होना मान कर पेट्रोल पम्प को हटाने के आदेश पारित कर दिये।

(4) उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध मे एक वाद संख्या 54/1980 कैलाश सर्विस स्टेशन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य न्यायालय मुंसिफ सीकर के समक्ष चला था, जिसमें राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश सीकर एवं तहसीलदार सीकर पक्षकार थे, जो दिनांक 26.03.1985 को राज्य सरकार के विरूद्ध डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राज्य सरकार ने अपील संख्या 104/1985 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत की जो दिनांक 24.11.1987 को राजस्थान सरकार की अपील निरस्त कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.1985 पुष्ट किया गया, जिसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, उक्त अपील अंतिम थी। तहसीलदार को उक्त निर्णय व डिक्री की प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है।

(5) अपीलांट के द्वारा तहसीलदार को जबाब नोटिस के साथ समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था, लेकिन फिर भी खसरा नम्बर 819 में निर्माण मान कर निर्णय जैर अपील पारित किया है जबकी अपीलांट का कब्जा एवं स्वामित्व पुराने भूमि खसरा नम्बर 491/1/1 मे है।

(6) अपीलाण्ट के पूर्वजों के पास वैद्य रूप से स्वामित्व के दस्तावेज होते हुए भी अपीलांट को अतिक्रमी माना है, जबकी माननीय राज. उच्च न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

ने RLW 2006(1) Raj Page 158, RRD 2002 Page 583, RRD2003 Page 441, RRD2005 Page 231, RRD1974 Page 442 मे भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जिसके पास स्वामित्व के दस्तावेज हो उसको अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। अपीलांट को अपील का भी समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलांट की भूमि पर बने लाखों रूपयों के निमार्ण को तोड़ दिया। अपीलांट के पास संबंधित भूमि पर वैद्य कब्जा था और वे अतिक्रमणकारी नहीं थे। अपीलांट के पास प्रश्नगत भूमि पर सद्भाविक कब्जा एवं स्वामित्व के दस्तावेज हैं, ऐसी सूरत मे धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत समरी कार्यवाही के जरिये बेदखली का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर को नही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने RLW 1995 Page 117 राजस्थान राज्य बनाम पदमावती में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

(7) अपीलाण्ट के पिता नरेश पोद्दार ने उक्त पेट्रोल पम्प को मैसर्स कैलाश सर्विस स्टेशन सीकर से दिनांक 08.06.1988 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के जरिये क्रय किया था, जिनकी मृत्यु होने पर उक्त आराजी सम्पति देवी पोद्दार, सुशिल पोद्दार व गरीमा पोद्दार के कब्जे एवं स्वामित्व मे है।

(8) अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 02.09.2024 मामला संख्या 39/2024 को खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. रेस्पो. संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया है, तथा रेस्पो. संख्या 2 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई है।

रेस्पो. संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) इस विभाग (सा.नि.वि.) द्वारा अपीलांट को दिनांक 25.07.2024 को भू–खण्ड के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। भूखण्ड के दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 819 में अतिक्रमण न होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 02.09.2024 को नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर,सीकर

(2) तहसीलदार सीकर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का अवैध कब्जा खसरा नम्बर 819 में था, जो सा.नि.वि. सीकर के नाम दर्ज है। अपीलांट द्वारा किये गये कथन मनगढ़ंत व मिथ्या है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार ही की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड दस्तावेजों में कहीं पर भी खसरा संख्या 819 का उल्लेख नहीं है।

(3) सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. सीकर द्वारा आवेदन दिनांक 25.07.2024 को प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट द्वारा भूखण्ड दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बाद दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा खसरा नम्बर 819 में अतिक्रमण ना होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अपीलांट सुशील पोद्दार पुत्र नरेश कुमार द्वारा तहसील सीकर में भूमि का कुल क्षेत्रफल 704 वर्गमीटर स्थायी निर्माण 110.45 वर्गमीटर टीनशेड 370 वर्गमीटर मौजुदा पुलिया से दूरी 520 मीटर सामने विवरण टीनशेड, ऑपन लेण्ड निर्माण कर खसरा नम्बर 819 की सीमा में 704 वर्गमीटर भूमि पर कच्चा व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुसार वादी/अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 819 में मौके पर किये गये अवैध कब्जे 704 वर्गमीटर क्षेत्रफल को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की गई।

रेस्पो. संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक टिप्पणी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर ने अपने पत्रांक 1217 दिनांक 25.07.2024 द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि PWD सीकर के खाते में दर्ज कस्बा सीकर के ख.नं. 819 में वर्तमान नवलगढ़ पुलिया से 5.20 मीटर दूर सड़क सीमा में 704 वर्गमीटर में सुशील पोद्दार पुत्र नरेश कुमार, बोलता बालाजी मंदिर फतेहपुरा रोड़ तहसील व जिला सीकर द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। अब नवलगढ़ पुलिया का विस्तार किया जाना है अतः सुशील पोद्दार का अतिक्रमण शीघ्र हटाए जाने का निवेदन किया गया है।

(2) AEN PWD सीकर का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय में मु.नं. 39/2024 दिनांक 01.08.2024 को दर्ज कर अतिक्रमी सुशील पोद्दार को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 सपठित धारा 95(7) के तहत नोटिस जारी कर जवाब पेश करने हेतु लिखा गया। नोटिस विधिवत रूप से तामिल होने पर सुशील पोद्दार द्वारा दिनांक 12.08.2024 को जवाब पेश किया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(3) अतिक्रमी द्वारा दिये गए जवाब का गहनता एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी/अतिक्रमी द्वारा PWD के ख.नं. 819 में अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः इस जवाब से यह सिद्ध नही होता कि अप्रार्थी का अतिक्रमण ख.नं. 819 से बाहर अवस्थित है। अतः दिनांक 02.09.2024 को सुशील पोद्दार को PWD के नाम दर्ज कस्बा सीकर के ख.नं. 819 में 704 वर्गमीटर में मौजूद पुलिया से 5.20 मीटर दूर सड़क सीमा में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण बेदखल करके तथा 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया गया।

(4) इस न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर सुशील पोद्दार ने अपील पेश की है। सुशील पोद्दार ने अपील में बताया है कि इस भूमि का पुराना खसरा नम्बर 491/1/1 था, तथा उसके पड़दादा नारायण पुत्र चुन्नीलाल पोद्दार ने सन् 1965 में यह आराजी खरीदी थी, उसके बाद अपीलांट के दादा प्रभुदयाल पोद्दार के नाम न्यायगत हुई, उसके बाद अपीलांट के पिता नरेश पोद्दार के नाम अंकित है। वर्तमान में यह भूखण्ड करीब 900 वर्गगज का है, जोकि सम्पति देवी पोद्दार, सुशील पोद्दार व गरीमा पोद्दार के कब्जे एवं स्वामित्व में है एवं 1965 से ही उक्त भूखण्ड पर पानी एवं विद्युत संबंध स्थापित है। परन्तु सुशील पोद्दार का अतिक्रमण PWD के ख.नं. 819 में अवस्थित होने के कारण विधिवत रूप से सही हटाया गया।

(5) सुशील पोदार द्वारा प्रस्तुत अपील में पेट्रोल पम्प का उल्लेख किया गया है। परन्तु नवलगढ़ रोड़ पुलिया बनने के बाद से ये पेट्रोल पम्प बंद कर दिया गया था। वर्तमान में वहां कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। विवादित आराजी पीडब्लयूडी सीकर के नाम दर्ज होने के कारण बेदखल किया गया है। पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 की संयुक्त टीम द्वारा पैमाईश करवाई गई। इसमें सुशील कुमार का अतिक्रमण पाये जाने के कारण विधिवत रूप से हटाया गया। सुशील पोद्दार के पास जो दस्तावेज है वो अन्य खसरे से संबंधित है परन्तु उसका वास्तविक कब्जा पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 में होने के कारण अतिक्रमण विधिवत रूप से हटाया गया।

(6) अपीलाण्ट का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया। जबकि उसके द्वारा पेश जवाब का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर,सीकर

(7) कस्बा सीकर का वर्तमान ख.नं. 819 पीडब्लयूडी के नाम है, नगर परिषद के नाम नहीं है। अतः विभागीय अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए न्यायालय तहसीलदार सक्षम है। इसमें नगर परिषद का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। अतिक्रमी द्वारा पेट्रोल पम्प क्रय करने के संबंध में जानकारी दी गई। परन्तु वर्तमान मे वहां पर कोई पेट्रोल पम्प अवस्थित नहीं था। पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 में सुशील पोद्दार का अतिक्रमण होने के कारण अतिक्रमण विधिवत रूप से हटाया गया।

(8) अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन करते हुए निवेदन किया कि, विवादित भूखण्ड जिस पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार सीकर द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 02.09.2024 पारित किये गये हैं वह भूखण्ड आराजी भूमि पुराने खसरा नम्बर 491/1/1 में अवस्थित है जो कि अपीलांट की पैतृक आराजी है। अतः तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 02.09.2024 निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(1)अपीलांट द्वारा तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 02.09.2024 को निरस्त किये जाने बाबत अपील पेश की गई है। तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश भूमि खसरा नम्बर 819 में किये गये अतिक्रमण से सम्बन्धित है। राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नम्बर 819 सा.नि. वि. के नाम से दर्ज है।

(2)अपीलांट की पैतृक आराजी पुराना खसरा नम्बर 491/1/1 के वर्तमान खसरा नम्बर बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपनी अपील में स्वयं कथन किया है कि, अपीलांट का कब्जा एवं स्वामित्व पुराने खसरा नम्बर 491/1/1 में है। दौराने सुनवायी वर्तमान खसरा नम्बर 819 एवं पुराने खसरा नम्बर 491/1/1 के बीच एकरूपता साबित करने में नाकाम रहे हैं, कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर,सीकर

(3) तहसीलदार सीकर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भूमि खसरा नम्बर 819 पर किये गये अवैध कब्जे के विरूद्ध की गई है। प्रकरण की सुनवायी के दौरान अपीलांट ने उक्त खसरा नम्बर 819 के स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।

(4) तहसीलदार सीकर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि वर्तमान मे वहां पर कोई पेट्रोल पम्प अवस्थित नहीं था। पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 की संयुक्त टीम द्वारा पैमाईश करवाई गई। इसमें सुशील कुमार का अतिक्रमण पाये जाने के कारण अतिक्रमण विधिवत रूप से हटाया गया। सुशील पोद्दार के पास जो दस्तावेज है वो अन्य खसरे से संबंधित है परन्तु उसका वास्तविक कब्जा पीडब्ल्यूडी सीकर के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 819 में होने के कारण अतिक्रमण हटाया गया।

6. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि रेस्पो. द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधिवत रूप से की गई है। अपीलांट को सुनवायी के समुचित अवसर प्रदान किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवायी के दौरान अपीलांट द्वारा उक्त आराजी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 819 के स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अपील की सुनवायी के दौरान भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर की तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के विरूद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही भूमि खसरा नम्बर 819 का स्वामित्व सिद्ध कर पाये हैं। मात्र कथनों के आधार पर अपीलांट के कथनों की सत्यता साबित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बेदखली आदेश को बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के नियम विरूद्ध ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक **15.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर